

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 482]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 नवम्बर 2016—अग्रहायण 9, शक 1938

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2016

क्र. एफ-2-01-2015-1-चौंतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजपत्रित) नियम, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. विद्यमान अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम (1)	सेवा तथा पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	उच्चतर आयु सीमा (4)	शैक्षणिक अर्हता (5)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सहायक यंत्री (सिविल)	21	40	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता. समकक्ष योग्यता:— ए.एम.आई.ई. (इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, कोलकता, भारत).
	सहायक यंत्री (मैकेनिकल)	21	40	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता. समकक्ष योग्यता:— ए.एम.आई.ई. (इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, कोलकता, भारत).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2016

क्र. एफ-2-01-2015-1-चौतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-01-2015-1-चौतीस, दिनांक 30 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

Bhopal, the 30 November 2016

No. F-2-1-2015-1-XXXIV.—In exercise of the powers conferred by Proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health Engineering (Gazetted) Rules, 1980, namely:—

AMENDMENT

In the said Rules,—

1. For the existing Schedule-III, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE-III
(See rule 8)

Name of Department	Name of Service and Post	Minimum age limit	Upper age limit	Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Public Health Engineering Department	Assistant Engineer (Civil)	21	40	A Degree in Civil Engineering or its equivalent qualification from recognised University. Equivalent qualification:— A.M.I.E. (Institution of Engineers India, Kolkata).
	Assistant Engineer (Mechanical)	21	40	A Degree in Mechanical Engineering or its equivalent qualification from recognised University. Equivalent qualification:— A.M.I.E. (Institution of Engineers India, Kolkata).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. S. KUMRE, Dy. Secy.